राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री बाबू सिंह, सदस्य, विधान सभा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर की विशिष्ट जीन मण्डी से सटी 11 बीघा जमीन को पुन: हस्तान्तरण करने के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, मण्डी प्रांगण स्थानान्तरण नीति, 2013 में दिनांक 16.7.2015 को बिन्दु संख्या 3(6) में किये गये संशोधन को काश्तकारों के हितार्थ तुरन्त वापिस लिये जाने के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2015-2016, समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य, विधान सभा, लुहासिया तालाब को भरने के लिये लुहारिया फीडर के निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर उपखण्ड कार्यालय की स्थापना बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा), सदस्य, विधान सभा, भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर से चिकसाना होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क का नवीनीकरण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या-1) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2016 को प्रख्यापित राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्या-1) को अस्वीकार करता है।"

(II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाये :-

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्या-6)

"वित्तीय पुनर्सरचना, दीर्घ-अवधि योजना के क्षेत्रों में पोषणीय आधार पर समर्थन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनियामक अनुपालनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु समर्थ बनाने के लिये, राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घ-अवधि पोषणीयता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों के लिये और नीति निदेशों तथा उनसे संसक्त या उनसे आनुषंगिक विभिन्न अन्य अध्युपायों को अधिकथित करने के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

6. राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार

राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 30 मार्च, 2016